

जिला वलैटर,
जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर,
साली, बीकानेर एवं बूरा ।

संभागीय आसुक्त,
जोधपुर, बीकानेर एवं अजमेर ।

द्रमांक:- 1-5/6/राज-6/97/110

जोधपुर, दि० 31-7-02


:- मीरमन :-

विषय:- मरुस्थलीय जिलों में आक्टन एवं नियामन पर लगे प्रतिबंध में
श्राप्यता के सम्बन्ध में ।

इस विभाग के असिस्टेंट मीरमन द्रमांक 1-5/6/राज-6/97/7 दि० 23-5-02
के संदि संख्या 5 में आश्रित श्राप्यन करते हुए यह निर्देश जारी किए जाते हैं कि
जिला स्तरीय समिति द्वारा राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाला
प्रस्ताव अब स्वीकृति हेतु संभागीय आसुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष
प्रस्तुत किए जाएंगे । इस समिति में निम्नलिखित सदस्य मण होंगे :-


1. संबंधित क्षेत्र के माननीय विधायक
2. संबंधित वलैटर
3. माननीय सांसद
4. संबंधित क्षेत्र के प्रधान
5. राज्य सरकार का प्रतिनिधि जो उम शासन सचिव से कम स्तर का नहीं होगा।

उक्त समिति प्रस्तावों का परीक्षण कर दृष्टि भूमि के आक्टन योग्य माने जाने
के संबंध में अपना अनुमोदन प्रदान करेगी एवं तदनुसार संभागीय आसुक्त दृष्टि भूमि को
आक्टन योग्य माने जाने के संबंध में अधिस जारी करेगी ।


श्री जी० एस० सी० सी०
राजस्व सचिव

प्रतिनीत निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. विभिन्न सहायक, माननीय राजस्व मंत्री सहोदया ।
2. निदेशक, केन्द्रीय स्तर क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर ।
3. उम शासन सचिव, राजस्व प्रभाग-1, उ व उमनिकान सं विभाग ।
4. संबंधित नत्राकली ।


उम शासन सचिव